माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालयः सेशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

सूर्यप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :	141/2026
आदेश दिनांक :	03.06.2026
आदेश का प्रकार :	
(अ) जमानत अस्वीकृत	**जमानत अस्वीकृत**
(ब) दोषसिद्धि/अपील अस्वीकृत	
(स) दोषमुक्ति से पलट कर दोषसिद्धि	

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :–

ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
विधिक सेवा समिति का पता :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर (राज.)**
फोन नम्बर :	0141–2227481
टोल फ्री नम्बर :	9928900900
हैल्प लाइन नम्बर :	15100

न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : केशव कौशिक, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(UID No.RJ00156)

दाण्डिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र संख्या : 141/2026
सी.एन.आर. नम्बर : RJDS010006362026

सूर्यप्रकाश पुत्र मातादीन, उम्र 21 वर्ष, निवासी झिरी गुवाडा सखा, पुलिस थाना प्रतापगढ, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक दौसा। ....अप्रार्थी

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 127(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023, पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा

उपस्थितः

1. श्री रामकेश बैरवा, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी अभियुक्त
2. श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक–राज्य सरकार

आदेश **दिनाँकः 03.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त सूर्यप्रकाश की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी व संबंधित सैशन प्रकरण की पत्रावली तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस की गई कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया जा रहा है। उसका इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी 21 वर्षीय नवयुवक है। प्रार्थी से कोई तफ्तीश अथवा बरामदगी नहीं होनी है। यदि प्रार्थी को इस झूंठे मुकदमे में गिरफ्तार

किया गया तो उसकी व उसके परिवार की समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रकट किया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर मजरूब लक्ष्मीनारायण का सदोष परिरोध करके उसकी हत्या कारित करने का प्रयत्न करने के गम्भीर अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व में भी एक अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नम्बर मय दिनांक
1.	181/2023 02.08.2023	380, 511 भा.दं.सं.	रायसर जिला जयपुर ग्रामीण	107/2023 31.08.2023

अतः निवेदन किया है कि प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाँक 26.12.2025 को परिवादी रामकृपाल ने पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा के थानाधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि दिनांक 25.12.2025 को समय 21:15 बजे उसका भाई लक्ष्मीनारायण गार्ड की नौकरी कर रहा था, जिस पर उसी समय दूसरे गार्ड रामकेश पुत्र लक्ष्मणराम निवासी ऐचेडी व उसके साथी ने बिना वजह लोहे के तवे और लाठी से जानलेवा हमला करके उसको कमरे को बन्द करके फरार हो गए। पीडित लक्ष्मीनारायण को घायल अवस्था में रामकरण जोशी सरकारी अस्पताल, दौसा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जिसका उपचार जारी है.....आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/2025 अपराध अंतर्गत धारा 109(1), 127(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराधों में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान सहअभियुक्त रामकेश के विरूद्ध धारा 109(1), 127(2), 115(2), 126(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों में दिनांक 30.03.2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–1 दौसा के न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जो कमिट होकर दिनांक 18.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिस पर सहअभियुक्त रामकेश पर उक्त अपराधों के आरोप विरचित किए जाकर

उसके विरूद्ध अन्वीक्षा की जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त सूर्यप्रकाश के विरूद्ध अपराध धारा 109(1), 127(2), 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध साबित पाते हुए उसके विरूद्ध धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अनुसंधान लंबित रखा गया था। प्रार्थी अभियुक्त सूर्यप्रकाश की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

5. इस मामले में प्रार्थी अभियुक्त सूर्यप्रकाश के विरूद्ध सहअभियुक्त रामकेश के साथ मिलकर मजरूब लक्ष्मीनारायण के साथ लोहे के तवा से मारपीट करने के आरोप हैं। मारपीट की इस घटना में मजरूब लक्ष्मीनारायण के सिर व शरीर पर अन्य जगह चोटें आयी हैं। तफ्तीश से प्रार्थी/अभियुक्त सूर्यप्रकाश के विरूद्ध धारा 109(1), 127(2), 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। प्रार्थी अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचता रहा है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध मजरूब लक्ष्मीनारायण के सिर पर लोहे के तवे व डण्डा से मारपीट करके उसकी हत्या का प्रयास करने के गम्भीर अपराध के आरोप हैं। मजरूब लक्ष्मीनारायण के सिर पर आयी उक्त चोट के कारण उसका पाँच दिन राजकीय चिकित्सालय, दौसा में उपचार हेतु भर्ती रहना भी प्रकट हुआ है। चिकित्सक की राय के अनुसार मजरूब लक्ष्मीनारायण के सिर पर आयी चोट प्राणघातक होना बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व में भी एक अन्य अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। केस डायरी के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि प्रार्थी अभियुक्त को इस मामले में झूंठा संलिप्त किया जा रहा हो। अतः अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, मजरूब को आई प्राणघातक चोट, अभियुक्त की कथित प्रत्यक्ष भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त को इस स्तर पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अभियुक्त के अग्रिम जमानत पर रिहा होने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित करने अथवा अनुसंधान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझती है।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त सूर्यप्रकाश पुत्र मातादीन, उम्र 21 वर्ष, निवासी झिरी गुवाडा सखा, पुलिस थाना प्रतापगढ, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस आदेश में की गई कोई टिप्पणी प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सेशन न्यायाधीश, दौसा

7. आदेश आज दिनाँक 03.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सेशन न्यायाधीश, दौसा